

bfUnjk xk/kh jkT; [ky ifjIj lpkYu lfeFr d y[kk vof/k 04@2010 I 03@2011 rd
dk y[kk ijh{k.k ,oe vid{k.k ifronuA

iFke Hkkx

1 xr y[kk ijh{k ifronu %&

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकक्षण आपत्तियों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के पश्चात नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अनिर्णीत अंकक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है :-

%d% y[kk ijh{k ifronu vof/k 08@97 I 03@03

1	पैरा 3	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
2	पैरा 9	अनिर्णीत	
3	पैरा 10	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
4	पैरा 11	अनिर्णीत	
5	पैरा 12	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
6	पैरा 13	अनिर्णीत	

%[k% y[kk ijh{k ifronu vof/k 04@03 I 03@05

1	पैरा 5	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 9	अनिर्णीत	
5	पैरा 10	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
6	पैरा 11	अनिर्णीत	
7	पैरा 14	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
8	पैरा 16	अनिर्णीत	

%x% y[kk ijh{k ifronu vof/k 04@05 I 03@07

1	पैरा 5	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
2	पैरा 7	समाप्त	(निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2011)
3	पैरा 8	अनिर्णीत	

$\frac{1}{4} ? k \frac{1}{2}$ $y_i \{kk$ $ij_h \{kk$ $ifronu$ vof/k $04@07$ I $03@09$

2 પૈરા 7(ખ) અનિર્ણીત

$\frac{1}{4} 3 \frac{1}{2}$ y_i[kk ij_h{kk ifronu vof/k 04@09 I 03@10

5 पैरा 8 अनिर्णीत

2 orleku vdfk.k %&

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जाँच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

3 foÙkh ; fLFkfr %&

ikjfeHkd 'k" k	vk;	; kx	0; ;	vUr 'k" k
25,07,965 / —	20,40,539 / —	45,48,504 / —	19,11,153 / —	26,37,351 / —

₹26,37,351.00 के अन्तर्षे की राषि कैपीटल सरकारी खजाना, षिमला-2 के खाता संख्या 8443 में जमा पाई गई। उपरोक्त वर्णित आय व व्यय का लेखावार विवरण “परिषिष्ट क” पर दिया गया है।

4 vd{k.k 'kYd %&

समिति के लेखा अवधि 04/2010 से 03/2011 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹3,000.00 (तीन हजार रुपये) बनता है जिसे अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्या 131, दिनांक 08.06.11 द्वारा इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के नाम ड्राफ्ट तैयार करके शीघ्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

5 fcy I:[;k 2553] fnukd 06-05-2010] ₹1]671@&

fcy I:[;k 'kU;] fnukd 21-05-2010] ₹2]000@&

foHkkxh; 6 uEcj DokV.I d j[k j[kko ij fd, tk jg 0;; dk y[kk r!;kj u djuk %&

उपरोक्त वर्णित वाऊचरों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि बिल संख्या: 2553, दिनांक 06.05.2010 के द्वारा पेंटिंग/डिस्टैम्पर इत्यादि के लिए ₹1,671/-के सामान का क्रय मैं0 वी0के0 छिवर एण्ड सन्ज, न्यू षिमला से किया तथा बिल नम्बर शून्य दिनांक 21.05.2010 के द्वारा ₹2,000/-का भूगतान श्री चमन लाल पेंटर को क्वार्टर नम्बर 599 में डिस्टैम्पर व पेंटिंग इत्यादि की मजदुरी के रूप में भूगतान किया गया। इस प्रकार ₹3,671/-का भूगतान/व्यय क्वार्टर नम्बर 599 में पेंटिंग/डिस्टैम्पर करने हेतु व्यय किया गया। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्था के न्यू षिमला में सैट नम्बर 596, 599, 600, 601, 602 व 603, ब्लाक नम्बर 42, टाईप-बी उपलब्ध है। जिनका उपयोग प्रशिक्षकों के आवास हेतु प्रयोग किया जा रहा है। इन क्वार्टर के रख-रखाव पर संस्था द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय किया जा रहा है परन्तु समय पर किए जा रहे व्यय के सन्दर्भ में कोई भी जाँच लेखे तैयार नहीं किए गए हैं। जिसके अभाव में समय-समय पर किए गए रख-रखाव पर व्यय की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। अतः अभिलेख के उचित रख-रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य हेतु प्रत्येक सैट के रख-रखाव का लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 fcy I:[;k 'kU;] fnukd 21-05-2010] ₹27]541@& %&

उपरोक्त वाऊचर के द्वारा ₹27,541/-का भूगतान हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, छोटा षिमला को उनके बिल संख्या 111212120519, दिनांक 13.05.2010 के लिए किया गया। पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा समय-समय पर किए जा रहे बिजली के बिलों के भूगतान के सन्दर्भ में स्वतः स्पष्ट लेखा तैयार नहीं किया गया है जिस कारण पूर्व में किए गए बिलों के भूगतान तथा अन्य विवरण की पड़ताल की जानी सम्भव नहीं हो पाई। आवश्यक अभिलेख तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अपेक्षित विवरण यथा बिल में की गई रीडिंग की गणना का विवरण क्या था, लागू दर क्या थी, कितनी राशि का भूगतान किया गया, का अभिलेख स्वतः स्पष्ट रूप में तैयार किया जाए। ताकि निकट भविष्य में किसी प्रकार के अनुचित/या दोहरे भूगतान से बचा जा सके।

7 LVkd y[kk %&

(क) स्टॉक लेखा को जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा स्पोर्ट्स इक्वीपमेंट रजिस्टर पृथक से वर्ष 2008 से प्रारम्भ किया गया। परन्तु इससे पूर्व समय-समय पर खरीदे गए इस प्रकार के सामान को जिसकी प्रविष्टियाँ अन्य स्टॉक रजिस्टर में विद्यमान हैं को इस नये रजिस्टर में इन्द्राज स्थानान्तरित/अंकित नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि समस्त अनुपभोज्य सामग्री को एक ही रजिस्टर में अंकित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(ख) स्टॉक रजिस्ट्रों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टर में विद्यमान सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन अनेक वर्षों से नहीं किया जा रहा है जबकि यह प्रत्येक वर्ष की जानी आपेक्षित थी।

अतः अपेक्षित कार्रवाई तुरन्त सुनिश्चित की जाए व परिणाम से आगामी अंकेक्षण में अवगत किया जाए।

8 ikflr;k %&

दिनांक 08.07.2010 को ₹2,000/-की राशि प्रवेश फार्म के विक्रय करने पर प्राप्त हुई परन्तु रोकड़ बही में क्रमवार प्राप्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया गया। स्टॉक लेखा के पृष्ठ 2 पर की गई प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि प्रवेश फार्म की बिक्री को क्रम संख्या के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। अपितु बिना क्रम संख्या को अंकित किए ही बिक्री की जा रही है। दिनांक 10.10.2007 को 200 नम्बर पैड जिसमें प्रत्येक में 100 फार्म थे, छपवाए गए जिनकी क्रम संख्या 8001 से 28000 तक थी, दिनांक 06.06.2011 तक 111 नम्बर पैड अर्थात् 11100 फार्म की बिक्री की जा चुकी थी तथा दिनांक 06.06.2011 को 89 पैड/8900 एडमीशन फार्म बिक्री हेतु शेष पाए गए। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि प्रवेश शुल्क के फार्म की क्रमवार बिक्री सुनिश्चित की जाए व तत्सम्बन्धी इन्द्राज क्रम सहित रोकड़ बही में प्राप्ति के समर्थन में दर्शाई जाए व अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

9 y?k vkifÜk foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

10 fu"d"k %& लेखाओं में उचित सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)225/03-खण्ड-1

दिनांक, शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1.1 (1) महा प्रबन्धक, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, षिमला-171001 को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

(2) प्रधान सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला-171002.

(3) निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल हिमाचल प्रदेश षिमला-171002 (सचिवालय)

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

1.1